न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र:–42 / 2020 दायर दिनांकः 15.06.2020

GCMS NO:- 2020/00088

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामनिवास पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. गन्दोडी पत्नी जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
3. हरपाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी बोरदा तहसील नैनवॉ हाल निवासी नैनवां के (बैरवाओं के) झौंपडा ग्राम पंचायत जैतपुर तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. पांची पत्नी गंगाराम जाति बैरवा निवासी बोरदा तहसील नैनवॉ हाल निवासी नैनवां के (बैरवाओं के) झौंपडा ग्राम पंचायत जैतपुर तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
3. पप्पू पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी रघुनाथगंज हाल निवासी बोरदा पंचायत बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4. हरफूल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
5. रामप्रसाद पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
6. भगवानसहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
7. रामसहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
8. शांति बाई पत्नी स्व0 रामपाल जाति मीणा निवासी रघुनाथगंज पंचायत बालापुरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
9. मूर्तिबाई पुत्री रामपाल पत्नी रामजस जाति मीणा निवासी बटावती तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
10. सुरता बाई पुत्री रामपाल पत्नी सीताराम जाति मीणा हाल निवासी डेकवा पंचायत डेकवा तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
11. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट</u>

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया एडवोकेट।
2. अप्रार्थी के अभिभाषक श्री रामस्व[illegible] एडवोकेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक 12.04.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्ड़ल बालापुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 139 की खसरा सं. 165 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि का खातेदार कृषक प्रार्थी संख्या 1 रामनिवास है। यह कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्ड़ल बालापुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 27 की खसरा सं. 163 रकबा 9–08 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि का खातेदार कृषक प्रार्थी संख्या 2 गन्दोडी है। यह कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्ड़ल बालापुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 203 की खसरा सं. 169 रकबा 15–18 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि का खातेदार कृषक प्रार्थी संख्या 3 हरपाल है। यह कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्ड़ल बालापुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 26 की खसरा सं. 237 रकबा 14 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 क्रमशः छीतर, पांची व पप्पू है। सहखातेदार माया ने अपने हिस्से का हक त्याग अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया हैं। सहखातेदार कल्याण की मृत्यु हो चुकी है। उसका एक मात्र पुत्र व वैध उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 पप्पू हैं। यह कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्ड़ल बालापुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 206 की खसरा सं. 215 रकबा 4–11 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 हरफूल व रामप्रसाद तथा इनकी माता नाथी बेवा रामनारायण हैं। नाथी का स्वर्गवास हो चुका हैं। उसके वैध उत्तराधिकारी केवल अप्रार्थी संख्या 4 व 5 हैं। यह कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्ड़ल बालापुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 93 की खसरा सं. 214/577 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि का खातेदार कृषक अप्रार्थीगण सख्या 6 लगायत 10 के खातेदारी में दर्ज हैं। इसका मूल खसरा संख्या 214 हैं। राजस्व नक्शे में भी वर्तमान में 214 ही दर्ज हैं तरमीम नहीं हो रही हैं। यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 व 6 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 215 व 214/577 जिसके मूल खसरा संख्या 214 हैं में समीधी से बामनगांव आने जाने वाला डामर रोड हैं जो रास्ता खसरा संख्या 236 में होकर आता है। इस रोड को प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट क में लाल लाईनों से अ बिन्दू से य बिन्दू तक दिखाया हैं। परन्तु अभी तक इसकी राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रही हैं। यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम रघुनाथगंज से आम रोड में होकर खसरा संख्या 214 में ब बिन्दू से रासता संख्या 181 को क्रोस करते हुये खसरा संख्या 237 में स बिन्दू तक और स बिन्दू से खाली नाला खसरा संख्या 238 के दक्षिणी किनारे के सहारे द बिन्दू तक है। उसके बाद प्रार्थीगण रास्ता खसरा संख्या 161/1 व 162/1 जिनके जमाबंदी में 659/161 व 658/162 खसरा संख्या बनाये है में होकर अपने खाते की अन्य भूमियों खसरा संख्या 163 व 169 में पहुंचते हैं व अपने हल [illegible] जाते हैं। उक्त रास्ते को भी परिशिष्ट क में लाल लाईनों से दिखाया गया हैं। इस रा[illegible]क्त प्रार्थीगण की भूमियों में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। यह [illegible]रा संख्या 181 पश्चिम से पूरबी ओर तक काफी गहरा हो चुका है जिसका उपयोग रास्ते के रूप में नहीं होता हैं। प्रार्थीगण को 10 फीट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 10 ने प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 237 जो अप्रा[illegible] संख्या 1 से 3 के खाते की हैं पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा हैं। उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित ब बिन्दू से स बिन्दू व स बिन्दू से द बिन्दू तक दर्शाये गये रास्ते का उपयोग करने में रूकावट डाल रहे हैं। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा परिशिष्ट क, नकल नक्शा ट्रेश पेश किया।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। रास्ते के सम्बंध में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में खर्च अप्रार्थीगण सख्यां 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि का राजस्व दर की दुगुनी कीमत प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को दिलाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र एवं काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 एवं परिशिष्ट क में गलत रास्ता बताया है। प्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है। प्रार्थीगण का रास्ता तो खसरा संख्या 214 के बाद खसरा संख्या 237 के पूर्वी मेर खसरा संख्या 166, 165 के उत्तरी मेर पर होकर खसरा संख्या 161/1 व 162/2 पर जाता है जहां से 164, 165 व 161, 162 की मेर पर होकर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियों में जाता है इसके अतिरिक्त दुसरा सुविधा जन रास्ता खसरा संख्या 166 के दक्षिणी मेंर एवं खसरा संख्या 167 के उत्तरी मेर पर होता हुआ जाता है जिनको इन रास्तों को परिशिष्ट ब में लाल स्याही से बता रखा है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता बेबुनियाद व अप्रार्थीगण की भावनाओं को नाजायज परेशान करने की नियत पर आधारित है व कब्जा करने की मानसिकता हैं एवं खसरा संख्या 154 की अत्री मेड व 237 के बीच के बीच में 214/577 जो डोल लगा रखा है जो राज्य सरकार की तरफ से भू संरक्षण विभाग द्वारा तलाई का निर्माण कराया गया है जिसमें गांव व माल के जानवर पानी पीते है को नष्ट भ्रष्ट कर कब्जा करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि में पहुंचने का सुगम रास्ता खसरा संख्या 214/577 की पूर्वी मेर से खसरा सख्या 167 की उत्तरी में व खसरा संख्या 168 की दक्षिणी में दोनों के बीच में समीधी बामनगांव सडक से ही है। भू–स्वामी द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता उपर्युक्त नहीं बताया गया है बल्कि अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये रास्ता होना व परिशिष्ट ब में बताये गये रास्ते को ही सुगम व उत्कर्ष्ठ व नजदीकी माना है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 से दुर्भीसंधी कर रकम हडपने व अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से पेश किया गया है। अतः प्रार्थीण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्अर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 214/577 रकबा 5 बीघा में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 व परिशिष्ट क में वर्णित नया रास्ता नहीं निकाले एवं अन्य किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण के हक व आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये।

अपने जवाब मे तहसीलदार नैंनवां ने मौका रिपोर्ट ... मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रार्थी को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित ... खसरा संख्या 165 रकबा 2 बीघा खातेदार रामनिवास साकिन देह खातेदार ... रकबा 14 बीघा में से (17 गढ्ठा * 2 गढ्ठा) = 34 वर्ग गढ्ठा = 0.02 बीघा पर खातेदार गंगारा... साकिन देह खातेदार खसरा संख्या 214

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.15 बीघा बंजड सिवायचक में से (4 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 8 वर्ग गठ्ठा = 0.01 बीघा सरकार खातेदार खसरा संख्या 214 / 577 रकबा 5 बीघा में से (8 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 16 वर्ग गठ्ठा = 0.01 बीघा पर खातेदार भगवानसहाय रामसहाय साकिन देह खातेदार में होता हुआ समीधी रोड पर जाकर मिलता है। रास्ते की लंबाई 29 गठ्ठा व चौडाई 2 गठ्ठा है। जिसका क्षेत्रफल 0.04 बीघा है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः खसरा संख्या 165 रकबा 2 बीघा खातेदार रामनिवास साकिन देह खातेदार पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 237 रकबा 14 बीघा में से (17 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 34 वर्ग गठ्ठा = 0.02 बीघा पर खातेदार गंगाराम साकिन देह खातेदार खसरा संख्या 214 रकबा 0.15 बीघा बंजड सिवायचक में से (4 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 8 वर्ग गठ्ठा = 0.01 बीघा सरकार खातेदार खसरा संख्या 214 / 577 रकबा 5 बीघा में से (8 गठ्ठा * 2 गठ्ठा) = 16 वर्ग गठ्ठा = 0.01 बीघा पर खातेदार भगवानसहाय रामसहाय साकिन देह खातेदार में होता हुआ समीधी रोड पर मिलते हुये नक्शा ट्रेस परिशिष्ट अ के अनुसार रास्ते की लंबाई 29 गठ्ठा व चौडाई 2 गठ्ठा, जिसका क्षेत्रफल 0.04 बीघा है, रास्ता तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–"अ" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैंनवां को रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल कर राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner